ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
RNI TITLED NO. UPBIL04292
RNI REG. NO. UPBIL/2014/66218 PP. NO.- 298-301

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- III, Issues-25, YEAR- July-Sept.-2022

भारतीय राष्ट्रवाद का समाजशास्त्रीय अध्ययन

संगीता विश्वकर्मा

पीएच.डी.– महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी (उ0प्र0) भारत

Received-13.09.2022, Revised-18.09.2022, Accepted-24.09.2022 E-mail: sharmasangeeta08028@gmail.com

सारांशः – ***डॉ० अम्बेडकर का भारतीय राष्ट्रवाद सामाजिक एकता की भावना पर आधारित था। वे एक ऐसे राष्ट्र की कल्पना करते थे जो वर्ण, जाति, धर्म, रंग, लिंग आदि के भेदभाव की दूषित मानसिकता से स्वतन्त्र हो तथा समानता, स्वतन्त्रता और बन्धुत्व भाव पर आधारित हो। उनका मानना था कि कोई भी राष्ट्र तब तक मजबूत नहीं हो सकता जब तक कि वह सामाजिक रूप से एक न हो। इस शोध पत्र के माध्यम से हम अम्बेडकर के राष्ट्रवाद सम्बन्धी विचारधारा पर प्रकाश डालने का प्रयास करेंगें।***

कुंजीभूत शब्द– भारतीय राष्ट्रवाद, सामाजिक एकता, भावना, कल्पना, जाति, धर्म, रंग, लिंग, मानसिकता, समानता।

राष्ट्रवाद फ्रांसीसी क्रान्ति के बाद राष्ट्रवाद का जो विचार विश्व में उभरा उसमें स्वतन्त्रता, समानता तथा बन्धुत्व की कल्पना की गयी थी। भारत के संविधान ने इस विचार को स्वीकार किया। लेकिन राष्ट्रवाद की इन भावनाओं में से बन्धुत्व का विचार भारत के परिवेश में कार्य नहीं करता। बन्धुत्व का भाव तभी उत्पन्न हो सकता है जब किसी राष्ट्र की उपलब्धियां या उसका दुःख सम्पूर्ण राष्ट्र की पीड़ बने। यह बात पश्चिमी देशों में तो लागू हो सकती है परन्तु भारत, जो अनेक जातियों में बॅटा हुआ है वहाँ बन्धुत्व का भाव उतना कारगर सिद्ध नहीं होता।

डॉ० अम्बेडकर का लोक जीवन बहुत विस्तृत हैं कुछ लोग इनको अपने दौर का सबसे बड़ा अर्थशास्त्री मानते थे। कुछ लोग की नज़रों में बाबा साहेब दलित उद्धारक हैं तो कई लोग इन्हें ऐसे शख्स के रूप में देखते हैं जिन्होने हिन्दू कोड बिल के माध्यम से पहली बार महिलाओं को पैत्रृक सम्पत्ति में हिस्सा दिलाने की पहल और महिला समानता की बात की। श्रम–कानून को लागू कराने तथा नदी–घाटी परियोजना की बुनियाद रखने वाले शख्स के रूप में याद किया जाता है।

निःसंदेह इन सबके आधार पर बाबा साहेब की जो तस्वीर उभर कर आती है। वह एक राष्ट्र निर्माता की है। बाबा साहेब का राष्ट्रवाद एक अध्यात्मिक विचार है, वह एक चेतान है, हम एक राष्ट्र हैं क्यों कि हम सब मानते हैं कि हम एक राष्ट्र हैं। 25 नवम्बर 1949 को अपने दिये गये वक्तव्य में वे कहते हैं कि भारत आजाद हो चुका है। लेकिन उसका एक राष्ट्र बनना अभी बाकी है। बाबा साहेब काहते हैं कि भारत एक बनता हुआ राष्ट्र है।, उनका मानना था कि जमीन के एक टुकड़े पर कुछ या अनेक लोगों के साथ रहने भर से राष्ट्र नहीं बनता। राष्ट्र निर्माण में व्यक्तियों का मै से हम बन जाना बहुत महत्वपूर्ण होता है।

1857 से 1947 के बीच भारतीय राष्ट्रवाद को जो रूप दिखाई पड़ता है वह आम जानता के बीच उस राष्ट्रवाद की तरफ संकेत करता है जिसके केन्द्र में राष्ट्र–मुक्ति के अलावा और कुछ नहीं है। इस राष्ट्र मुक्ति का पूरा आधार जनता के व्यापका हित को लेकर निर्मित हुआ है तथा जिसके केन्द्र में व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, समानता और सामाजिक न्याय के साथ ही राष्ट्र का विकास एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है।

डॉ० अम्बेडकर ने लिखा कि राष्ट्रीय कवि डॉ० रविन्द्रनाथ टैगोर भी भारत के एक राष्ट्र नहीं मानते थे (अम्बेडकर1990 :29) उनके अनुसार एंग्लो इंडियन्स भी भारत को एक राष्ट्र नहं मानते थे (वही :29) टी०के० उम्मेन लिखते हैं कि यूरोपीय स्ट्रेसी (1888 : 5) तथा भौली (1883 :255) यूरोप एवं अफ्रीका की ही तरह भारत को केवल एक भू–भाग मानते थे। वे उनको राष्ट्रों एवं भाषाओं का समूह कहते थे। 26 नवम्बर 1949 को जब अम्बेडकर राष्ट्रपति को संविधान की पूर्ण प्रति सौंप रहे थे, तो उन्होंने सभा के सदस्यों को सम्बोधित करते हुए कहा, ''पूर्व में राजनैतिक प्रकृति के व्यक्तियों को 'भारत के लोग' युग्म अच्छा नहीं लगता। उनको 'भारतीय राष्ट्र' युग्म अच्छा लगता था। परन्तु मेरा मत है कि अगर हम इस विश्वास को पाल रहे हैं कि हम एक राष्ट्र हैं तो एक महान भ्रन्ति के शिकार हो रहे हैं।'' (अम्बेडकर 1994 : 1261)

डॉ० अम्बेडकर ने राष्ट्र की अवधारणा को विषय में प्रश्न उठाया कि '' हजारों जातियों में बंटे लोग राष्ट्र कैसे हो सकते हैं? जातियां राष्ट्र विरोधी होती हैं। सर्वप्रथम वे (जातियॉं) सामाजिक सम्बन्धों से अलगाव डालती हैं। जातियां राष्ट्र विरोधी इसलिए भी होती हैं क्यों कि वे इर्ष्या पैदा करती हैं, जाति– पाति के मध्य नकारात्मकताओं को भी जन्म देती हैं।'' (अम्बेडकर 1979)

इस सन्दर्भ में आंबेडकर कहते हैं '' कि हिन्दुओं में सामूहिकता की चेतना का अभाव है उनमें जातिय चेतना प्रबल है। यही कारण है कि हिन्दुओं को कही जा सकता है कि वे एक समाज की रचना करते हैं न कि राष्ट्र की '' (अम्बेडकर 12979 : 50–51)। अम्बेडकर का मानना था कि हर जाति के हिल अलग–अलग होते हैं इसलिए जातिय चेतना बन्धुत्व एवं समानता के लिए हानिकारक है। इसलिए अम्बेडकर ने सुझाव दिया कि '' हमें जल्द से जल्द यह कमजोरी दूर करनी चाहिए अगर हमें

अनुरूपी लेखक / संयुक्त लेखक

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- III, Issues-25, YEAR- July-Sept.-2022

राष्ट्र बनने की अकांक्षा है क्यों कि बिना बन्धुत्व के समता एवं स्वतन्त्रता मात्र पेन्ट की परत से ज्यादा और कुछ नहीं हो सकती है।" (अम्बेडकर 1994: 1216–17) इस प्रकार डॉ० का यह मानना था कि हिन्दुओं में जातिगत चेतना प्रबल होने के कारण समानता स्वतन्त्रता एवं बन्धुत्व का अभाव होता है ऐसी स्थिति में भारत को एक राष्ट्र मानना मात्र कल्पना है।

राष्ट्र क्या है?– वैसे राष्ट्र की कोई एक परिभाषा नहीं है (पिकोरा 2001 :1) पैटर्सन ने राष्ट्र को परिभाषित करने हुए कहा है कि "एक समूह एक लोग इस प्रकार के लक्षणों से जुड़े हुए हैं जैसे कि सामान्य डिसेन्ट,सीमा, इतिहास, भाषा, धर्म, जीवन जीने की परम्परा ऐसे अन्य कई लक्षण जो कि समूह के पास जन्म से ही विद्यमान हो।" (1975 :181) इससे अलग राष्ट्र की परिकल्पना बाबा साहेब ने युरोपीय विद्वान अर्नेस्ट रेनॉन से ली है जिनका 1818 का प्रसिद्ध वक्तव्य 'ह्वाट इज नेशन' आज भी प्रासंगिक दस्तावेज है। रेनेन के अनुसार " राष्ट्र एक जीवित आत्मा है, एक आध्यात्मिक सिद्धान्त है। ये दोनों चीजे लगती अलग अलग हैं परन्तु वास्तविकता में ये दोनों एक ही हैं। एक अतीत है तो दूसरा वर्तमान। एक उच्च सांस्कृतिक विरासत की स्मृतियों का सामान्य स्वामित्व है तो दूसरा साथ–साथ रहने की वास्तविक स्वीकृति एवं संकल्प। एक ऐसी अभिलाषा जो प्रतिष्ठित तरीके से हमें सौंपी गयी अविभाजित विरासत को बनाये रखना चाहती है। राष्ट्र एक व्यक्ति की तरह लम्बे प्रयासोंत्र त्याग एवं लगन का परिणाम है। एक वैभवशाली अतीत महान व्यक्तियों का गौरव।" ये वह सांस्कृतिक पूँजी है, जिसके आधार पर राष्ट्र की कल्पना पल्लवित होती है।

अतीत में सामूहिक गौरव का होना एवं वर्तमान में सामूहिक संकल्प, अतीत में महान कार्यों को क्रियान्वित करना तथा भविष्य में पुनः ऐसा ही करने का संकल्प– राष्ट्र निर्माण हेतु ये मूलभूत अवस्थाएं हैं। अतीत में एक गौरव की विरासत, भविष्य में एक सदृश्य अमीष्ट को क्रियान्वित करना, संयुक्त रूप से वेदना का भोगना, आनंद मानना तथा आशान्वित होना। ये सब भाषायी तथा जातीय भिन्नता के बाद भी समझा जा सकता है। जहाँ तक राष्ट्रीय स्मृतियों की बात है, शोक विजय से अधिक मूल्यवाद है क्यों कि वे हमारे ऊपर कर्तव्य आरोपित करते हैं, एवं संयुक्त प्रयास की माँग करते हैं (अम्बेडकर 1999:35)। यदि हम डॉ० अम्बेडकर के राष्ट्र की अवधारणा के आधार पर भारतीय समाज का अवलोकन करें तो आज भी हमें भारतीय समाज में राष्ट्रीयता का आभाव परिलक्षित होगा। उच्च वर्ग द्वारा निम्न वर्गों का शोषण, साम्प्रदायिकता की भावना, महिलाओं के साथ शोषणकारी व्यवहार इस तथ्य का प्रमाण है। (अम्बेडकर 1979)। इन परिस्थितियों में हम स्वयं ही अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में राष्ट्र निर्माण कैसे संभव था।

डॉ० अम्बेडकर का मानना था कि भारत एक राष्ट्र नहीं है लेकिन राष्ट्र निर्माण किया जा सकता है। उन्होंने राष्ट्र निर्माण के लिए कुछ बिन्दुओं को आवश्यक माना–

– भारत एक राष्ट्र नहीं है यह अभी बनने की प्रक्रिया में है यह अनुभूति राष्ट्र निर्माण की राह में पहला प्रयास है।

– भारतीय समाज में व्यक्ति का कोई स्वतन्त्र स्वरूप नहीं है। उसे हमेशा वर्ण, जाति, धर्म, परिवार, एवं गांव के अस्तित्व से जोड़कर देखा जाता है। उसको मान–सम्मान प्रतिष्ठा और अपमान भी उसके वर्ण, जाति, धर्म, परिवार आदि के आधार पर ही मिलता है। अतः अम्बेडकर का मानना था कि अगर भारत को एक राष्ट्र के रूप में सीापित करना है तो व्यक्ति को आत्म निर्भर और स्वछन्द भूमिका देनी होगी जो वर्ण, जाति, तथा गाँव आदि पर आधारित अधिकारों से पृथक होगा। तब कहीं जाकर स्वतन्त्रता, समानता एवं बन्धुत्व के आधार पर राष्ट्र का निर्माण होगा।

– शोषित समुदायों के अधिकारों की स्थापना डॉ० अम्बेडकर के अनुसार राष्ट्र निर्माण के लिए आवश्यक है। इस कार्य के लिए उन्होंने दलितों के स्वप्रतिनिधित्व को सबसे अधिक महत्व दिया क्यों कि स्वप्रतिनिधित्व तीन कारणों से आवश्यक था। पहला, भारतीय समाज जाति पर आधारित है इस कारण दलित समाज से इतर उसकी पीड़ा, शोषण, अनादर आदि प्रक्रियाओं का पता ही नहीं है। ऐसी दशा में दलितों के उत्थान हेतु कानून कैसे बना सकते हैं (1979, 1991) इसलिए दलितों के लिए स्वप्रतिनिधित्व आवश्यकता है। दूसरा, स्वप्रतिनिधित्व के अभाव में एक वर्ग दूसरे वर्ग के लिए हमेशा कानून बनाता रहेगा। इस प्रकार एक वर्ग हमेशा शासक बना रहेगा और दूसरा शासित। शासित वर्ग को भी शासकों के लिए कानून बनाने का अवसर मिलना चाहिए। इससे दोनों वर्गों में पक्षपात की भावना कम होगी क्यों कि शासक वर्ग को यह मालूम रहेगा कि भविष्य में शासित वर्ग भी कानून बना सकते हैं। तीसरा, स्वप्रतिनिधित्व का आधार नैतिक था। उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले की 1885 की माँग को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया जिसमें गोखले ने ब्रिटिश सरकारी तन्त्र में भारतीयों के प्रतिनिधित्व की मांग उठाई थी। गोखले ने कहा कि भारतीयों को ब्रिटिश साम्राज्य की नौकरियों में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है इसे भारतीय अपनी क्षमता का विकास नहीं कर पा रहे हैं। इस पर बाबा साहेब ने कहा कि भारतीयों को केवल डेढ़ सौ सालों से प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो उनके पौरूष, क्षमता, और योग्यता का क्षय हो गया। हिन्दुओं ने तो दलितों को ढ़ाई हजार वर्षों से प्रतिनिधित्व नहीं दिया। यदि किसी समाज को प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाये तो उसके पौरूष, क्षमता एवं योग्यता का क्षय होता है अगर यह सच

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- III, Issues-25, YEAR- July-Sept.-2022

है तो दलितों की योग्यता, क्षमता एवं पौरूष को ध्यान में रखते हुए उनको नैतिक आधार पर स्वप्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। यही बाद में आरक्षण कहलाया। अतः आरक्षण व्यवस्था स्वप्रतिनिधित्व के रूप में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में उठायार गया एक कदम है। (अम्बेडकर 1989) राजनीति में अम्बेडकर को स्वप्रतिनिधित्व के लिए गाँधी का कड़ा विरोध झेलना पड़ा। क्यों कि अम्बेडकर ने पृथक निर्वाचन की माँग उठाई थी। (अम्बेडकर 1991) बाद में यही पूना पैक्ट के नाम से जाना गया। दलितों को पृथक निर्वाचन के स्थान पर सीटों के आरक्षण से ही सन्तोष करना पड़ा जिसे बाद में डॉ० अम्बेडकर ने दलितों के साथ विश्वासघात माना (अम्बेडकर 1991)

– राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में अम्बेडकर भारतीय महिलाओं के समान अधिकारों के पक्षधर थे। 'शिड्यूल कास्ट फेडरेशन' के अधिवेशन में डॉ० अम्बेडकर ने कहा था कि ''एक समुदाय के विकास को मै उस समुदाय के महिलाओं द्वारा प्राप्त की गयी उन्नति से आंकता हूँ।'' इसके लिए उन्होंने एक समझौता तैयार किया जिसे हिन्दु कोड बिल के नाम से जाना जाता है। डॉ० अम्बेडकर ने हिन्दु कोड बिल में अनेक प्रावधन किये जैसे– विवाह सम्बन्धी धाराएँ, विवाह विच्छेद की परिस्थितियॉ, दत्तक विधान एवं संरक्षता, सम्पत्ति में स्त्रियों के अधिकार, स्त्रियों के आय भागाधिकार, पुत्रियों के आय भागाधिकार, संयुक्त परिवार में महिलाओं के अधिकार इत्यादि। अम्बेडकर के प्रयासों के फलस्वरूप हिन्दू विवाह कानून–1955 अस्तित्व में आया जो अपने आप में एक क्रान्ति थी। क्यों कि इसमें पहली बार तलाक का प्रावधान किया गया । दुर्भाग्य वश नेहरू सरकार ने हिन्दू कोड बिल पारित नहीं होने दिया। इसके चलते डॉ० अम्बेडकर ने 10 अक्टूबर 1951 को नेहरू की कैबिनेट एवं अन्तरिम सरकार से त्यागपत्र दे दिया।

इस प्रकार हम कह सकते है कि डॉ० अम्बेडकर दलितों, महिलाओं एवं अल्पसंख्यकों को उनका उनका अधिकार प्रदान करके तथा समानता के साथ सत्ता में भागीदारी देकर राष्ट्र निर्माण करना चाहते थे।

राष्ट्रवाद– राष्ट्रवाद यह विश्वास है कि लोगों का एक समूह लागों का एक समूह इतिहास, परम्परा, भाषा, जातीयता या जातिवाद और संस्कृति के आधार पर स्वयं को एकीकृत करता है। इन सीमाओं के कारण वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे है कि उन्हें अपने स्वयं के निर्णयों के आधार पर अपना स्व्यं का संप्रभु राजनीतिक समुदाय, ' राष्ट्र' सीोपित करने का अधिकार है।

भारतीय राष्ट्रवाद– राष्ट्र की परिभाषा एक ऐसे जनसमूह के रूप में की जा सकती है जो कि एक भौगोलिक सीमाओं में एक निश्चित देश में रहता हो, समान परम्परा समान हितों तथा समान भावनाओं से बॅधा हो और जिसमें एकता के सूत्र में बॉधने की उत्सुकता तथा समान राजनैतिक महत्वकांक्षाएं पाई जाती हैं।

निष्कर्ष– निष्कर्षतः यह कहा जा सकता है कि डॉ० अम्बेडकर एक ऐसे नेता थे जो भारत को राष्ट्र नहीं मानते थे। उनकी राष्ट्रीय अवधारणा भाषा, धर्म, जाति, प्रजाति, पर आधारित न होकर समान अधिकार स्वप्रतिनिधित्व तथा सत्ता में भागीदारी पर आधारित था। वे राष्ट्र निर्माण के लिए भाईचारे को महत्वपूर्ण मानते थे। वे जीवन पर्यनत वंचित समाजों को अधिकार दिलाने हेतु संघर्षरत रहे। इनमे अस्पृश्य समाज, आदिवासी एवं पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, तथा महिलाओं के अधिकार शामिल थे। वे प्रजातांत्रिक मूल्यों की सीापना हेतु संवैधानिक मार्ग को वरीयता देते थे।

राष्ट्रवाद का विचार सामाजिक समावेशन, अर्थात, जाति, रंगभेद से ऊपर उठकर समरसता की बात करता है प्रत्येक व्यक्ति एक ऐसा वातावरण चाहता है जिसमें वह स्वतन्त्र सोच सके, अपने जीवन मूल्यों के साथ जी सके और अपने आप को स्वतन्त्र महसूस कर सके। यदि हमें पंक्ति में अन्तिम खड़ी महिला के लिए एक न्यायपूर्ण व्यवस्था तैयार करनी है तो अम्बेडकर के विचारों की तरफ देखना होगा जो सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक जीवन में समानता की बात करते हैं। नवभारत टाइम्स, April 14, 2017, क्या अम्बेडकर राष्ट्रवाद के खिलाफ थे।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. आंबेडकर, बी०आर०, 1979, री० प्रिन्ट, जनवरी–2014, ऑन कॉन्स्टिट्यूशन रिफार्म्स : एविडेंस बिफोर द साऊथबोरो कामेटी, डॉ० बाबा साहेब अम्बेडकर राइटिंग्स एंड स्पीचेस–टवस.1ए एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्मेंट ऑफ महाराष्ट्र, मुम्बई।
2. आंबेडकर डॉ० बी०आर०, राइटिंग्स एंड स्पीचेस–टवस.3, 14 अप्रैल 1987, एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्मेंट ऑफ महाराष्ट्र, मुम्बई।
3. आंबेडकर, बी०आर०, द इंडियन घेटो– द सेंटर फॉर अनटचेबिलिटी राइटिंग्स एंड स्पीचेस–टवस.5ए एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्मेंट ऑफ महाराष्ट्र, मुम्बई।
4. आंबेडकर बी०आर०, 'ए नेशन कॉलिंग फॉर होम' राइटिंग्स एंड स्पीचेस–टवस.8ए एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्मेंट ऑफ

ISSN NO.-2347-2944 (Print)
e-ISSN NO.-2582-2454 (Online)
Vol.-15, No.- III, Issues-25, YEAR- July-Sept.-2022

महाराष्ट्र, मुम्बई।

5. अ.....1995 डॉ० आंबेडकर एंड द हिन्दू कोड बिल, राइटिंग्स एंड स्पीचेस–टवस.14ए ;005.1.2द्ध एजुकेशन डिपार्टमेंट, गवर्मेंट ऑफ महाराष्ट्र, मुम्बई।
6. hindisabrangindia.in. August-8, 2019
7. https://hi.wikipedia.orgs<wiki>
8. https://hi.wikipedia.orgs.wiki
9. AFEIAS.COM
10. न्यूजलॉड्री.कॉम

*****